रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 1985/आश्विन 26, 1907
No. 208] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 1985/ ASVINA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1985

संकल्प

यू. 23013/20/84-एल. डब्ल्यू/बी. एल. (खंड-2).—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड-1, में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-23013/20/84-एल. डब्ल्यू, तारीख 31 जनवरी, 1985, में आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि भवन और निर्माण उद्योग संबंधी विशेषज्ञ समिति को लिए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित छः माह की समय सीमा को

बढ़ाकर एक साल तथा दो माह कर दिया जाय । इसलिए उक्त संकल्प का पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा :—

"4. उक्त समिति अपने गठन की तारीख से एक साल और दो माह की अवधि के भीतर यानी 31 मार्च, 1986 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी"

ए. के. श्रीवास्तव,
महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 18th October, 1985

RESOLUTION

No. U-23013|20|84-LW|BL(Vol. II).—In partial modification of the Ministry of Labour Resolution No. U-23013|20|84-L.W. dated the 31st January, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-1, it has been dicided to extend the time limit for submission of report by the Expert Committee on Building and Construction Industry from six months to one year and two months. Para 4 of the said Resolution will, therefore, be deemed to have been substituted by the following :—

"4. The Committee will submit its report within a period of one year and two months from the date of its constitution i.e. by 31st March, 1986".

A. K. SHRIVASTAVA,
Director General (Labour Welfare)|Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985